दिन–शुक्रवार दिनांक– 26/04/2024

प्रसार भारती
(भारत का लोक सेवा प्रसारक)
प्रादेशिक समाचार एकांश
आकाशवाणी, पटना

प्रसारणः– अपराह्न 03:10 बजे से। अवधि– 05 मिनट

---

लोकसभा चुनाव के दूसरे चरण में बिहार के पांच संसदीय क्षेत्रों– किशनगंज, कटिहार, पूर्णियां, भागलपुर और बांका में कड़ी सुरक्षा के बीच मतदान शांतिपूर्वक चल रहा है। दोपहर एक बजे तक लगभग **चौंतीस** प्रतिशत मतदाताओं ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया है। पूर्णियां में सबसे अधिक लगभग सैंतीस प्रतिशत से अधिक मतदान हुआ है। वहीं, कटिहार में **पैंतीस**, किशनगंज में **चौंतीस**, बांका में **बत्तीस** और भागलपुर में **तीस** प्रतिशत से से अधिक लोगों ने वोट डालें। मतदान शाम छह बजे तक चलेगा। वहीं, बांका संसदीय क्षेत्र के कटोरिया विधानसभा क्षेत्र के एक सौ दो मतदान केन्द्रों और बेलहर विधानसभा क्षेत्र के एक सौ छियालीस मतदान केन्द्रों पर शाम चार बजे तक ही वोट डाले जायेंगे। तिरानवे लाख छियानवे हजार से अधिक मतदाता तीन महिला समेत पचास उम्मीदवारों के भाग्य का फैसला करेंगे। इस चरण में राज्य के एक लाख सैंतीस हजार सात सौ तैंतीस मतदाता पहली बार मतदान करेंगे। सोलह निर्दलीय प्रत्याशी भी चुनाव मैदान में हैं। सबसे अधिक बारह–बारह प्रत्याशी किशनगंज और भागलपुर में हैं, जबकि सबसे कम सात प्रत्याशी पूर्णियां में हैं। इस चरण की सभी पांच सीटों पर एनडीए की ओर से जदयू के प्रत्याशी चुनाव मैदान में हैं जबकि इंडी गठबंधन में शामिल दल कांग्रेस के तीन और राजद के दो प्रत्याशी चुनावी मुकाबले में हैं।

———————————————

किशनगंज और पूर्णियां संसदीय क्षेत्र में त्रिकोणीय मुकाबला हैं जबकि भागलपुर, बांका और कटिहार में एनडीए और महागठबंधन के उम्मीदवार आमने–सामने है। किशनगंज में कांग्रेस के मोहम्मद जावेद, जदयू के मुजाहिद आलम और एआईएमआईएम के अख्तरूल ईमान के बीच त्रिकोणीय मुकाबला है। वहीं, पूर्णियां सीट पर निर्दलीय उम्मीदवार पप्पू यादव की मौजूदगी ने चुनाव दिलचस्प बना दिया है। इस सीट पर पप्पू यादव का मुकाबला, जदयू के संतोष कुशवाहा और राजद की बीमा भारती से है। कटिहार में जदयू के निवर्तमान सांसद दुलाल चंद गोस्वामी और कांग्रेस के तारिक अनवर के बीच सीधी टक्कर मानी जा रही है। भागलपुर में जदयू के निवर्तमान सांसद अजय

मंडल और कांग्रेस के अजीत शर्मा के बीच मुख्य मुकाबला है। वहीं, बांका में जदयू के गिरिधारी यादव और राजद के जयप्रकाश यादव आमने–सामने हैं।

———————————————————————

दरभंगा, उजियारपुर, समस्तीपुर, बेगूसराय और मुंगेर संसदीय क्षेत्रों में होने वाले चौथे चरण के चुनाव के लिए नामांकन पत्रों की आज जांच की जा रही है। इन संसदीय क्षेत्रों में चौरासी उम्मीदवारों ने नामांकन दाखिल किया है। उम्मीदवार उनतीस अप्रैल तक अपना नाम वापस ले सकते हैं। चौथे चरण का मतदान तेरह मई को होगा।

———————————————————————

बीस मई को होने वाले लोकसभा चुनाव के पांचवे चरण के मतदान के लिए आज अधिसूचना जारी होने के साथ ही नामांकन का कार्य शुरू हो गया है। उम्मीदवार तीन मई तक नामांकन कर सकेंगे। नामांकन पत्रों की जांच चार मई को होगी। नाम वापस लेने की अंतिम तिथि छह मई है। इस चरण में प्रदेश के पांच संसदीय क्षेत्रों– सीतामढ़ी, मधुबनी, मुजफ्फरपुर, सारण और हाजीपुर में मतदान होना है।

———————————————————————

प्रदेश में लोकसभा चुनाव के तीसरे और चौथे चरण के लिए प्रचार अभियान तेज हो गया है। भाजपा के वरिष्ठ नेता और प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी आज अररिया के फारबिसगंज में एनडीए प्रत्याशी प्रदीप कुमार सिंह के समर्थन में एक जनसभा को संबोधित किया। प्रधानमंत्री ने अपने संबोधन में कहा कि जंगलराज के दौर को याद कर बिहार के लोग आज भी सिहर उठते हैं। श्री मोदी ने कहा कि अररिया और सीमांचल के लोग नौकरी के बदले जमीन लिखवाने वाली परिवारवादी पार्टियों को सबक सिखाने का मन बना चुके हैं।

———————————————————————

सर्वोच्च न्यायालय ने आज वीवीपीएटी की पर्चियों के साथ इलेक्ट्रोनिक वोटिंग मशीन– ईवीएम के आंकडों के शत–प्रतिशत मिलान वाली याचिकाओं को खारिज कर दिया है। न्यायाधीश संजीव खन्ना और दीपांकर दत्ता की पीठ ने निर्वाचन आयोग के लिए दो निर्देश दिए। न्यायालय ने कहा कि ईवीएम में सिंबल्स लोड किए जाने के बाद सिंबल लोडिंग यूनिट – एसएलयू को सील करके कंटेनरों में सुरक्षित रख लिया जाना चाहिए। इस सील पर उम्मीदवार और उनके प्रतिनिधियों के हस्ताक्षर होने चाहिए। सील

किए गए कंटेनरों को परिणाम घोषित होने के कम से कम पैंतालीस दिनों तक ईवीएम के साथ स्टोर रूम में रखा जाना चाहिए। न्यायालय ने कहा कि इन कंटेनरों को ईवीएम की तरह ही खोला और सील किया जाना चाहिए। दो या तीन उम्मीदवारों के लिखित अनुरोध पर परिणामों की घोषणा के बाद ईवीएम निर्माता के इंजीनियरों द्वारा प्रत्येक विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र के हिसाब से बैलेट यूनिट और वीवीपीएटी की जांच और सत्यापन किया जाना चाहिए। इस प्रकार का अनुरोध परिणामों की घोषणा के बाद सात दिनों के भीतर किया जाना चाहिए। इस प्रकार के अनुरोध पर होने वाले खर्च को उम्मीदवार वहन करेगा। यदि ईवीएम से छेडछाड की गई है तो वह खर्च उम्मीदवार को लौटा दिया जाएगा।

---

इसके साथ ही आकाशवाणी, पटना से प्रसारित प्रादेशिक समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। एक छोटे अंतराल के बाद आप सुनेंगे उर्दू बुलेटिन।